न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वलियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक आर 2437–एक/2013 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.14	यह निगरानी आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार परगना मन्दसौर के प्रकरण कमांक 17/अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2– मैने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है, कि आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 178 म.प्र. भू. राजस्व संहिता सन् 1959 के अधीन पेश किया है। कि ग्राम दौलतपुरा में स्थित कृषि खाता आवेदकगण व अनावेदक के भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य का स्थित होकर उसमें सम्मिलित भूमि नम्बरान 81 रकवा 0.280 कमांक 121 रकवा 1.090 कमांक 163 रकवा 1.690 कमांक 166 मिन 0.500 कमांक 167/2 मिन क्षेत्र 0.980 का स्वत्व के मान से बंटवारा कर पृथक–पृथक खाते कायम कर दिये जाये। ताकि आवेदक व अनावेदक अपनी–अपनी जिम्मेदारी से भू–आगम अदा करने तथा खाद, बीज लेने में सुविधा रहे। जिस पर से अनावेदक ने आपत्ति उठायी कि उक्त भूमि मुझ अनावेदक के अकेले स्वामित्व की रही होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य भूमियों के संबंध में अपील चली। जिसके आधार पर	

तहसीलदार महोदय ने अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी। जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश कर देने मात्र से कार्यवाही स्थिगित नहीं की जा सकती। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने एवं निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

3– प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है, कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बंटवारा किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें अनावेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एफ.ए. 882/2008 के संबंध में प्रकरण की स्थिति बावत पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण में जो भी आदेश दिये जायेगें। वह पक्षकारों पर समान रूप से प्रभावकारी होगें। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निराकरण तक स्थगित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जो आदेश तहसीलदार मन्दसौर द्वारा दिनांक 30.03.2013 को पारित किया है । वह विधिवत् एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है । और तहसीलदार मन्दसौर को यह निर्देश दिये जाते हैं। कि वह प्रकरण में उभयपक्षों को

सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निरकारण संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विधिवत् रूप से करें और इसी बीच यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक एफ.ए. 882/2008 में कोई अंतिम आदेश पारित कर दिया जाता है। तो उक्त आदेश का विधिवत् पालन किया जायें।

सदस्य

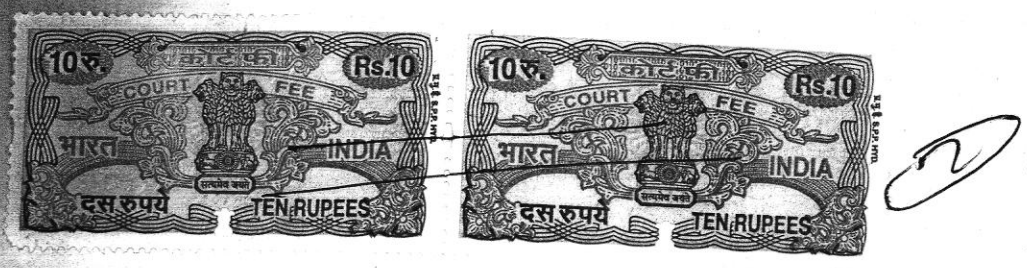

(2)

माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर मोती महल ग्वालियर (म०प्र०)

R 2437-I/13 प्र०क्र०

01- महेशचन्द्र पिता नारायणलाल मंगल, उम्र 67 वर्ष,
निवासी मन्दसौर परगना जिला मन्दसौर

02- रमेशचन्द पिता नारायणलाल मंगल मृतक द्वारा वारिसान:-

अ- पुष्पाबाई विधवा रमेशचन्द्र उम्र 55 वर्ष

ब- मधु पिता रमेशचन्द उम्र 38 वर्ष

स- संजय पिता रमेशचन्द उम्र 35 वर्ष

द- निवेश पिता रमेशचन्द उम्र 30 वर्ष

क- राजेश पिता रमेशचंद उम्र 28 वर्ष

सभी जाति अग्रवाल महाजन , सभी निवासी रामटेकरी मन्दसौर परगना व जिला मन्दसौर ----आवेदकगण

2351
ई पोस्ट द्वारा आज
25-6-13 को प्राप्त
...6/13
...लर्क ... कोर्ट
... मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

राधेश्याम पिता नारायणलालजी मंगल, उम्र 60 वर्ष
निवासी दशपूरकुंज के पीछे मन्दसौर परगना मन्दसौर
जिला मन्दसौर -----अनावेदक